

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी व्याख्याता-हिन्दी के जारी आदेशों में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं. 5 में अंकितानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान	आदेश में क्रम सं.	आदेश दिनांक	संशोधन
1	धर्मपाल, सुराना सायला, जालोर	18	16-04-2021	एसीपी आदेश में कार्मिक की राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 01.09.1986 पढी जावे ।
2	भूपेन्द्र सिंह इन्दौलिया, क्यारदा कलां, हिण्डौन, करौली	—	08-06-2021	सेवा समाप्ति आदेश में कार्मिक का शुद्ध नाम भूपेन्द्र सिंह इन्दौलिया पढा जावे ।
3	सुरेश चन्द्र पीयूष, राउमावि गवारडी, राजसममद	161	22-01-2020	सेवा निवृत्ति आदेश में कार्मिक की शुद्ध जन्म तिथि 02.07.1961 तथा सेवा निवृत्ति तिथि 31.07.2021 पढी जावे ।
4	बलवीर सिंह, साबौरा, भरतपुर	18	19-06-2019	डीपीसी आदेश में कार्मिक का शुद्ध नाम बलवीर सिंह बृजवासी के स्थान पर बलवीर सिंह पढा जावे ।
5	केशरा राम, तेजपाला सम जैसलमेर	—	02-06-2021	सेवा समाप्ति आदेश में कार्मिक का शुद्ध नाम केशरा राम पढा जावे ।
6	प्रेमनारायण गामोठ, आडीवाली, उदयपुर	9	09-04-2021	एसीपी आदेश में कार्मिक को देय एसीपी 20 वर्ष पढी जावे ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 10-06-2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सामान्य संशोधन/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
- 2 सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 3 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- 4 संबधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 5 संबधित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान